



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]
No. 280]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2004/फाल्गुन 28, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2004/PHALGUNA 28, 1925

कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

का.आ. 371(अ).—केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के स्केल-V और उस से ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ अधिकारियों के बारे में शामिल करती है।

[सं. 418/2/2004-ए.वी.डी.-IV]

केशव देसिराजु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

S.O. 371 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 8 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Government hereby include all the officers of Scale V and above of all Public Sector Banks in the category of officials for the purpose of clause (d) of Sub-section (1) of Section 8 of the said Act.

[No. 418/2/2004-AVD. IV]

KESHAV DESIRAJU, Jt. Secy.